उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–1
संख्या– 101 / XXII(1) / 2016–7(11)2012
दिनांक : 26 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तराखण्ड सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार करने; शासकीय विज्ञापनों को लक्षित वर्ग तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने; शासकीय विज्ञापनों की स्वीकृति, निर्गम, पात्रता सूची का निर्धारण एवं भुगतान की प्रकिया को निर्धारित करने हेतु अधिसूचना सं0–855 / XXII(1) / 2015 –7(11)2012, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के संशोधन की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है।

(विनोद शर्मा)
सचिव।

<u>संख्या–</u> (1) / XXII / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त कुमाऊँ / गढवाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
10. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

सूचना अनुभाग

संख्या– 101 /XXII(1)/2016–7(11)2012

दिनांक : 26 फरवरी, 2016

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड **"उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015"** में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित निमयावली बनाते है; अर्थात

नियम–8 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम–8 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या–8 (च) एक परिवार द्वारा एक भाषा में एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक भिन्न नाम से प्रकाशित होने पर केवल एक ही प्रकाशन को सूचीबद्व किया जायेगा। परिवार से तात्पर्य समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक की पत्नी/पति, माता–पिता, अविवाहित पुत्र तथा पुत्री से है।	**बिन्दु संख्या–8** (च) एक व्यक्ति/संस्थान द्वारा एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक प्रकाशन होने पर केवल एक ही प्रकाशन को विज्ञापन हेतु विभाग में सूचीबद्ध किया जायेगा। एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा एक स्थान पर एक अथवा एक से अधिक नियतकालिक प्रकाशित होने पर एक परिवार के कुल–02 (दो) नियतकालिक प्रकाशनों को ही एक स्थान हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा। परिवार से तात्पर्य समाचार पत्र के स्वामी/प्रकाशक की पत्नी/पति, माता–पिता, अविवाहित पुत्र तथा पुत्री से है। किसी भी नियतकालिक प्रकाशन के एक से अधिक संस्करण होने पर उसके अधिकतम–02 संस्करणों (गढवाल में–01 (एक) कुमाऊं मण्डल में–01 (एक) संस्करण) को ही विज्ञापन हेतु विभाग में सूचीबद्ध किया जायेगा।
बिन्दु संख्या–8.1 (च) डाक पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र।	**बिन्दु संख्या–8.1** (च) डाक पंजीयन संख्या का प्रमाण (यदि हो तो)।
बिन्दु संख्या–8.1 (छ) एजेन्सी के माध्यम से वितरित किये गये समाचार पत्र के वितरण की पुष्टि में संबंधित वितरक एजेन्सी द्वारा समाचार पत्र को प्रस्तुत किये गये 18 माह के बीजकों की प्रति। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है अर्थात बीजक में कर/मूल्य वर्धित कर/सेवा कर आदि का उल्लेख होना चाहिए ।	**बिन्दु संख्या–8.1** (छ) एजेन्सी के माध्यम से वितरित किये गये समाचार पत्र के वितरण की पुष्टि हेतु (प्रसार **संख्या–35000** या उससे अधिक होने पर) संबंधित वितरक एजेन्सी द्वारा समाचार पत्र को प्रस्तुत किये गये 18 माह के बीजकों की प्रति। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है। यह प्रावधान नियमावली लागू होने से पूर्व सूचीबद्ध समाचार पत्रों के लिए लागू नही होगा।
बिन्दु संख्या–8.1 **(ज)** प्रकाशित समाचार–पत्र को गत 18 माह में प्रिंटिग प्रेस द्वारा मुद्रण हेतु प्रेषित बीजकों की प्रति। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है अर्थात बीजक में कर/मूल्य वर्धित कर/सेवा कर आदि का उल्लेख होना चाहिए ।	**बिन्दु संख्या–8.1** (ज) प्रकाशित समाचार–पत्र को गत 18 माह में प्रिंटिग प्रेस द्वारा मुद्रण हेतु प्रेषित बीजकों की प्रति। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है। यह प्रावधान नियमावली लागू होने से पूर्व सूचीबद्ध समाचार पत्रों के लिए लागू नही होगा।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
बिन्दु संख्या–8.1 (झ) जिस समाचार पत्र की स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होगी उन्हें क्रय किये गये कागज, स्याही तथा प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री व विद्युत उपभोग के गत 18 माह के बीजकों की प्रति संलग्न करनी होगी। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है अर्थात बीजक में कर/मूल्य वर्धित कर/सेवा कर आदि का उल्लेख होना चाहिए। अपने समाचार पत्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य समाचार पत्र का मुद्रण उक्त प्रेस में किया जा रहा हो, तो उसका प्रमाणित विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।	**बिन्दु संख्या–8.1 (झ)** जिस समाचार पत्र की स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होगी उन्हें क्रय किये गये कागज, स्याही तथा प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री व विद्युत उपभोग के गत 18 माह के बीजकों की प्रति संलग्न करनी होगी। बीजकों में आवश्यक सूचनाओं का अंकन अनिवार्य है। अपने समाचार पत्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य समाचार पत्र का मुद्रण उक्त प्रेस में किया जा रहा हो, तो उसका प्रमाणित विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । यह प्रावधान नियमावली लागू होने से पूर्व सूचीबद्ध समाचार पत्रों के लिए लागू नही होगा।
बिन्दु संख्या–8.1 (ठ) जिस प्रिन्टिंग प्रेस में समाचार पत्र मुद्रण किया जा रहा हो उस प्रिंटिंग प्रेस में कितने समाचार पत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र।	विलोपित
बिन्दु संख्या–8.1 (ण) आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित जनपद के जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिन्दु (ट) तथा (ठ) की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से कराते हुए जिलाधिकारी की संस्तुति, जांच आख्या सहित आवदेन पत्र महानिदेशक, सूचना को प्रेषित करेंगे)	विलोपित

नियम–9 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम–9 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या–9 (क) राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में से किन्ही दो स्थानों से प्रकाशित होता हो (न्यूनतम दो संस्करण) और जिसके एक संस्करण की न्यूनतम समुल्य प्रसार संख्या 75 हजार हो तथा संयुक्त संस्करण में कोई दो संस्करणों की समूल्य प्रसार संख्या– 1.25 लाख हो, को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।	**बिन्दु संख्या–9 (क)** जो दैनिक समाचार पत्र दिल्ली, के अतिरिक्त दो अन्य राज्यों से प्रकाशित होता हो (न्यूनतम तीन संस्करण) और जिसके एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 75 हजार हो तथा कोई दो संस्करणों की समूल्य प्रसार संख्या– **1.25 लाख** हो, (प्रसार संख्या एबीसी से प्रमाणित हो) को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।
बिन्दु संख्या–9 (ख) राज्य स्तर के समाचार पत्र उत्तराखण्ड के देहरादून सहित किन्हीं दो स्थानों से मुद्रित एवं प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, जिसकी एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 65 हजार हो और उत्तराखण्ड के समस्त संस्करणों की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 90 हजार हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा।	**बिन्दु संख्या–9 (ख)** उत्तराखण्ड के दो मण्डलों से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जिनके एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 50 हजार हो और उत्तराखण्ड के समस्त संस्करणों की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 75 हजार हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा। उक्त मानकों को पूर्ण होने की स्थिति में प्रत्येक मण्डल से एक सर्वाधित प्रसार संख्या वाले संस्करण को राज्य स्तर की श्रेणी में रखा जायेगा।

बिन्दु संख्या–9 (ग) क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र उत्तराखण्ड के किसी भी स्थान से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जो राज्य स्तरीय श्रेणी में नही आयेंगे तथा जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या 5 हजार हो इस श्रेणी में सम्मिलित किये जाएंगे।	**बिन्दु संख्या–9 (ग)** क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र उत्तराखण्ड के किसी भी स्थान से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जो राज्य स्तरीय श्रेणी में नही आयेंगे तथा जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या दो हजार (2000 हजार) तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक हजार (1000) हो इस श्रेणी में सम्मिलित किये जाएंगे।

नियम–10 का संशोधन – मूल नियमावली में नियम–10 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या–10. 2 (ग) अन्य विभागों से प्राप्त सजावटी विज्ञापन अधिकतम प्रसार वाले राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में ही प्रकाशित कराये जाएंगे।	**बिन्दु संख्या–10.2 (ग)** अन्य विभागों से प्राप्त सजावटी विज्ञापन विभागो द्वारा निर्धारित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जा सकते है।
बिन्दु संख्या–10.2 (घ) प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष में केवल एक बार, दैनिक समाचार पत्र को अधिकतम एक पृष्ठ एवं अन्य समाचार पत्रों को दो पृष्ठ के विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर दिये जा सकेंगे। व्यावसायिक दरों पर किसी भी दशा मे इन्हें विज्ञापन नहीं दिये जाएंगे।	**बिन्दु संख्या–10.2 (घ)** प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में डी.ए.वी.पी. /विभागीय दर पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही दिये जा सकेगें। राज्य गठन 9 नवम्बर, 2000 से पूर्व राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से नियमित रुप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विशेषांक हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड भाषा विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय बोलियों, भाषाओं के समाचार पत्रों को स्वीकृत दरों की दोगुनी दरों पर विज्ञापन विशेषांक दिये जा सकते है।
बिन्दु संख्या–10.2 (ड.) प्रदेश के बाहर से प्रकाशित होने वाले जिन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें विभागीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष में केवल एक बार, अधिकतम एक पृष्ठ के विज्ञापन डी.ए.वी.पी./ विभागीय दर पर दिये जा सकेंगे।	**बिन्दु संख्या–10.2 (ड.)** प्रदेश के बाहर से प्रकाशित होने वाले जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें विभागीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में डीएवीपी दर न होने पर ही व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत दिये जा सकेगें।
बिन्दु संख्या–10.2(छ) सरकार द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, जो विभाग में सूचीबद्ध नहीं होती है, को प्रचार–प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन दिये जाते हैं, जिनके द्वारा डी.ए.वी.पी. /विभागीय दर स्वीकार नहीं की जाती है। इन पत्रिकाओं द्वारा व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है। व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन केवल ऐसी	**बिन्दु संख्या–10.2 (छ)–(1)** सरकार द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, जो विभाग में सूचीबद्ध नहीं होती है, को प्रचार–प्रसार की दृष्टि से विज्ञापन दिये जाते हैं, जिनके द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर स्वीकार नहीं की जाती है। इन पत्रिकाओं द्वारा व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है। व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन केवल ऐसी पत्रिका को

पत्रिका को दिये जाएंगे, जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक हो तथा उनका प्रसार कम से कम चार राज्यों में हो। प्रसार संख्या के संबंध में ऐसी पत्रिका के स्वामी/अधिकृत व्यक्ति का शपथ-पत्र तथा चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण देना आवश्यक होगा।

दिये जाएंगे, जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार (पिच्चहत्तर हजार) से अधिक हो तथा उनका प्रसार कम से कम चार राज्यों में हो। प्रसार संख्या के संबंध में ऐसी पत्रिका के स्वामी/अधिकृत व्यक्ति का शपथ-पत्र तथा चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

बिन्दु संख्या-10.2 (छ)-(2) ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जो राज्य से प्रकाशित होती हो जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या- 5000 (पांच हजार) हो को व्यवसायिक दर पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात दिये जा सकेगें। प्रसार संख्या के संबंध में पत्रिका के स्वामी/अधिकृत व्यक्ति का शपथ पत्र तथा चार्टड एकाउंटेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

बिन्दु संख्या-10.2 (ज) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा विगत तीन वर्षो से प्रकाशित की जा रही स्मारिकाओं को उनसे आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त (संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा) अधिकतम 25 हजार रुपये का विज्ञापन वर्ष में एक बार महानिदेशक की स्वीकृति के उपरांत जारी किया जा सकता है ।

बिन्दु संख्या-10.2 (ज) पंजीकृत संस्थाओं से आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त (संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा) अधिकतम 25 हजार रुपये का विज्ञापन वर्ष में एक बार महानिदेशक की स्वीकृति के उपरांत जारी किया जा सकता है। इससे अधिक का विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत दिया जा सकेगा।

नियम-11 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम-11 जो स्तम्भ-1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

समाचार पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड-11 (ख) समाचार पत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित समाचार पत्र- पत्रिकाओं की 2 प्रतियां देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय में प्रकाशन के सात दिन के अन्दर तथा संबंधित जिला सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। निर्धारित समयान्तर्गत समाचार पत्र जमा न करने अथवा एकमुश्त जमा किये जाने वाले समाचार पत्रों को भी अनियमित माना जायेगा। समाचार पत्र को सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय तथा संबंधित जिला सूचना कार्यालय अर्थात दोनो स्थानो से नियमित होना आवश्यक है। ऑन लाइन नियमितता भी मान्य होगी। समाचार पत्र के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए। नियमितता के रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई समाचार पत्र अनियमित पाया जाता है तो ऐसी दशा मे समाचार पत्र के पुनः नियमित होने तक उसे विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे तथा वह समाचार पत्र स्वतः ही विज्ञापन सूची से पृथक समझे जायेंगे। नियमितता प्रतिमाह के आधार पर तैयार की जायेगी।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

समाचार पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड-11 (ख) समाचार पत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित समाचार पत्र- पत्रिकाओं की 2 प्रतियां देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय में प्रकाशन के **10 दिन** के अन्दर तथा संबंधित जिले के सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। निर्धारित समयान्तर्गत समाचार पत्र जमा न करने अथवा एकमुश्त जमा किये जाने वाले समाचार पत्रों को भी अनियमित माना जायेगा। समाचार पत्र को सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय तथा संबंधित जिला सूचना कार्यालय अर्थात दोनो स्थानो से नियमित होना आवश्यक है। ऑन लाइन नियमितता भी मान्य होगी। समाचार पत्र के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए। नियमितता के रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई समाचार पत्र अनियमित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समाचार पत्र के पुनः नियमित होने तक उसे विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे तथा वह समाचार पत्र स्वतः ही विज्ञापन सूची से पृथक समझे जायेंगे। नियमितता प्रतिमाह के आधार पर तैयार की जायेगी।

नियम–14 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम–14 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या– 14 (क) टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:– आफसेट से निकाले जा रहे समाचार–पत्रों को हिन्दी में 10 व अंग्रेजी में 8 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और टेण्डर में शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी।	**बिन्दु संख्या– 14 (क) टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–** समाचार–पत्रों को हिन्दी एवं उर्दू के लिए में 10 व अंग्रेजी में 8 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और टेण्डर में शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी।

नियम–16 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम–16 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –16. सूचना विभाग यदि आवश्यक समझे तो समाचार–पत्रों या विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले समाचार पत्रों, सूचीबद्ध समाचार पत्रों की प्रसार संख्या, मुद्रणालय की मुद्रण क्षमता, कागज, स्याही और प्रकाशन में लगने वाली अन्य सामग्री के खरीदी के देयक, बिजली का बिल, अन्य सम्बद्ध कारकों के आधार पर सत्यापन/जांच करा सकता है। यह सत्यापन/जांच आवश्यकता और शिकायत के आधार पर करायी जा सकेगी। जांचोपरान्त समिति अपनी संस्तुति महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक जनपद में समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा : (क) जिलाधिकारी – अध्यक्ष (ख) जिलाधिकारी द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी जिनमें से एक वाणिज्यिक कर विभाग का होगा। – सदस्य (ग) सम्बन्धित जनपद के जिला सूचना अधिकारी – सदस्य सचिव (घ) श्रम विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	विलोपित

नियम–17 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम–17 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अपीलीय समिति –17. प्रस्तर–16 में गठित समिति के निष्कर्षों से असहमत होने पर सम्बन्धित समाचार पत्र राज्य स्तरीय अपीलीय समिति मे अपना पक्ष रख सकेंगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा : (क) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन । (ख) अपर सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन। (ग) अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन जो सूचना विभाग का कार्य देखते हों।	विलोपित

परिशिष्ट का संशोधनः–

मूल निमयावली में परिशिष्ट जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट प्रारूप रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिशिष्ट 1 नियमावली के अनुसार परिशिष्ट 2 नियमावली के अनुसार परिशिष्ट 3 नियमावली के अनुसार	**परिशिष्ट 1 एवं 02** में उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया है। संशोधित परिशिष्ट संलग्न। नियमावली के परिशिष्ट–3 में डीएवीपी के प्रारूप के अनुसार प्रस्तावित किया जा रहा है।
परिशिष्ट–4 की टिप्पणी– उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण जयंती,पुण्यतिथि , अवसर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत महानिदेशक सूचना द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।	**संशोधित परिशिष्ट–4 टिप्पणी–** उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण जयंती/ पुण्यतिथि/अवसर महानिदेशक सूचना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

23.2.2016

(विनोद शर्मा)
सचिव।

परिशिष्ट–1
विज्ञापन की सूचीबद्धता हेतु
आवेदन पत्र

1. समाचार पत्र का नाम : ....
2. समाचार पत्र का प्रकार (दैनिक / सांध्य दै. / साप्ता. / पाक्षिक / मासिक / त्रैमासिक) ....
3. समाचार पत्र के स्वामी / प्रकाशक नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
4. समाचार पत्र की भाषा ....
5. समाचार पत्र का आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या व वर्ष ....
6. समाचार पत्र का डाक पंजियन संख्या व वर्ष (यदि हो) ....
7. समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल का नाम एवं पता ....
8. समाचार पत्र के प्रारम्भ होने की तिथि ....
9. समाचार पत्र किस दिन व दिनांक को प्रकाशित होता है ....
10. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी / आर.एन.आई / सी.ए.) ....
11. समाचार पत्र का सशुल्क वितरण की संख्या उत्तराखण्ड से बाहर ....
12. समाचार पत्र का सशुल्क वितरण की संख्या उत्तराखण्ड में (वितरण की संख्या जिलेवार अंकित करें)..........
13. समाचार पत्र का मूल्य प्रति अंक ....
14. समाचार पत्र का मुद्रित आकार, कालम व कुल पृष्ठ संख्या : ....
15. समाचार किस कलर में प्रकाशित होता है (श्वेत–श्याम / रंगीन) ....
16. समाचार पत्र के स्वामी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते हों तो उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन स्थल का नाम ....
17. समाचार पत्र के सम्पादक का नाम,पता एव मोबाइल नं0....................
सम्पादक द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन का नाम ....
18. समाचार पत्र के प्रकाशक / मुद्रक,का नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
19. समाचार पत्र द्वारा समाचार संकलन हेतु यदि किसी समाचार एजेंसी की सेवाएं ली जाती है तो उसका नाम व प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान का उल्लेख करें। ....
20. विज्ञापन व्यवस्थापक का नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी का नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
प्रिंटिंग प्रेस का नाम ,पता एवं दूरभाष न0 ....
21. प्रिंटिंग प्रेस का प्रकार व क्षमता प्रति घण्टा ....
22. यदि डी.ए.वी.पी. दरें स्वीकृत हैं तो उसका विवरण : ....
23. क्या समाचार पत्र का मुद्रक / प्रकाशन / स्वामी / सम्पादक अनैतिक एवं समाज विरोधी किसी अपराध में दोषी सिद्व हुआ है, हां अथवा नहीं ....
24. खाता संख्या ....
25. खाते का प्रकार (चालू / बचत) ....
26. बैक का नाम ....
27. शाखा कोड ....
28. आई.एफ.एस.सी.कोड ....
29. पैन नं (पैन न. संबंधित समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र के स्वामी / प्रकाशक अथवा संबंधित फर्म के नाम से होना चाहिए) .. ..
30. खाताधारक का मोबाइल नं ....
31. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि ....

आवेदक के हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं

1. RNI पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. RNI को प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की प्रमाणित प्रति।
3. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (ABC/RNI) का प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
4. प्रसार संख्या के संबंध में सी.ए.का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर।
5. समाचार पत्र का वितरक एजेंसी से गत् 18 माह का बीजक (प्रसार संख्या–35000 से अधिक होने पर)
6. प्रिंटिंग प्रेस द्वारा गत् 18 माह में दी गई बीजकों की प्रति।
7. यदि डाक विभाग के माध्यम से वितरित होते है तो समाचार पत्रों की संख्या का प्रमाण पत्र प्रतिदिन/प्रति सप्ताह।
8. डाक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति यदि हो तो।
9. प्रिंटिंग प्रेस के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति, जिसमें मुद्रण क्षमता का उल्लेख हो।
10. स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होने पर क्रय किये गये कागज, स्याही आदि के व्यय संबंधी प्रमाणित विवरण एवं बीजक।
11. डी.ए.वी.पी.द्वारा स्वीकृत दर की प्रमाणित प्रति।
12. पैन कार्ड की छाया प्रति।
13. आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं एवं आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के संबंध में शपथ पत्र।

परिशिष्ट–2
विज्ञापन की सूचीबद्धता हेतु
नवीनीकरण आवेदन पत्र

1. समाचार पत्र का नाम : ....
2. समाचार पत्र का कोड नं. (जो सूचना विभाग द्वारा आवंटित किया गया हो) ....
3. समाचार पत्र का प्रकार (दैनिक / सांध्य दैनिक / साप्ता. / पाक्षिक / मासिक / त्रैमासिक) ....
4. सूचना विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत विज्ञापन दर (डी.ए.वी.पी. / विभागीय दर) ....
5. समाचार पत्र के स्वामी / प्रकाशका नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
6. समाचार पत्र की भाषा ....
7. समाचार पत्र का आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या व वर्ष ....
8. समाचार पत्र का डाक पंजीयन संख्या वर्ष ....
9. समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल का नाम एवं पता ....
10. समाचार पत्र के प्रारम्भ होने की तिथि ....
11. समाचार पत्र किस दिन एवं दिनांक को प्रकाशित होता है ....
12. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी / आर.एन.आई / सी.ए.) ....
13. समाचार पत्र का मूल्य प्रति अंक ....
14. समाचार पत्र का मुद्रित आकार, कालम, वर्ग से.मी. व कुल पृष्ठ संख्या : ....
15. समाचार किस कलर में प्रकाशित होता है (श्वेत–श्याम / रंगीन) ....
16. समाचार पत्र के स्वामी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते हों तो, उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन स्थल का नाम ....
17. समाचार पत्र के स्वामी के परिवार द्वारा कितने समाचार पत्र प्रकाशित किये जाते उसका नाम, भाषा, अध्यावधिक, प्रकाशन स्थल का नाम ....
18. समाचार पत्र के सम्पादक का नाम, पता एव मोबाइल नं0 ....
19. समाचार पत्र के प्रकाशक / मुद्रक,का नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
20. समाचार पत्र द्वारा समाचार संकलन हतु यदि किसी समाचार एजेंसी की सेवाएं ली जाती है तो उसका नाम व प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान का उल्लेख करें। ....
21. विज्ञापन व्यवस्थापक का नाम, पता एवं मोबाइल नं0 ....
22. प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी का नाम, पता एवं मोबाइल नं0..........
23. प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता एवं दूरभाष न0 ....
24. प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता प्रतिघण्टा ....
25. यदि डी.ए.वी.पी. दरें स्वीकृत हैं तो उसका विवरण : ....
26. क्या समाचार पत्र मुद्रक / प्रकाशन / स्वामी / सम्पादक अनैतिक एवं समाज विरोधी किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ है। हां अथवा नहीं ....
27. खाता संख्या ....
28. खाते का प्रकार (चालू / बचत) ....
29. बैंक का नाम ....
30. शाखा कोड ....
31. आई.एफ.एस.सी.कोड ....
32. पैन नं (पैन न. संबंधित समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र के स्वामी / प्रकाशक अथवा संबंधित फर्म के नाम से होना चाहिए) ....
33. खाताधारक का मोबाइल नं ....
34. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि ....

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं

1. आर.एन.आई. को प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की प्रमाणित प्रति।
2. समाचार पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या (एबीसी / आर.एन.आई)का प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति
3. प्रसार संख्या के संबंध में सी.ए.का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ।
4. डाक पंजियन प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रमाणित प्रति (यदि हो तो)।
5. समाचार पत्र का वितरक एजेंसी से गत् 18 माह का बीजक (प्रसार संख्या–35000 से अधिक होने पर)
6. प्रिंटिंग प्रेस के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति, जिसमें मुद्रण क्षमता का उल्लेख हो।
7. स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होने पर क्रय किये गये कागज,स्याही आदि के व्यय संबंधी प्रमाणित विवरण एवं बीजक।
8. डी.ए.वी.पी.द्वारा स्वीकृत दर की प्रमाणित प्रति।
9. सूचना विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई विज्ञापन दर की प्रमाणित प्रति।
10. आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं एवं आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के संबंध में शपथ पत्र।

परिशिष्ट–3

चार्टेड एकाउन्टेंट / कास्ट एकाउंटेंट द्वारा जारी किये जाने वाले का प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

1. समाचार पत्र का नाम ....
2. प्रकाशक का नाम ....
3. प्रकाशन का स्थान ....
4. भाषा ....
5. आवधिकता ....
6. आरएनआई नम्बर ....
7. पृष्ठ संख्या ....
8. कालम / वर्गसेमी प्रतिपृष्ठ ....
9. कालम की चौडाई ....
10. अखबारी कागज का प्रकार साधारण / स्टैण्डर्ड / ग्लेज्ड ....
11. न्यूजप्रिंट और स्याही की लागत (डीएवीपी के अनुसार) ....

Grade	News print (Paper)			Ink	
	Quantity Ream	Rate/ unit (Rs.)	Amount (Rs.)	Quantity (Ltr.)	Amount (Rs.)
Opening Stock					
Purchases-Imported					
Indigenous					
Total					
Add- Loans obtained/ received back					
Total					
Less- Closing Stock					
Loans given/ returned					
Net consumption					

(उपरोक्त विवरण समाचार पत्र की कुल प्रकाशित / मुद्रित कॉपियों से मेल खाता है)

12. प्रिंटिग प्रेस का प्रकार (ऑफसेट / लेटर) ....
13. प्रिंटिग प्रेस का मेक ....
14. प्रतिदिन (प्रकाशन का दिन) प्रकाशित / बिक्री होने वाली प्रतियों की कुल संख्या (कमीशन चार्जेज 40 प्रतिशत से कम) ....
15. प्रतिदिन (प्रकाशन का दिन) प्रकाशित / बिक्री होने वाली प्रतियों की कुल संख्या (कमीशन चार्जेज 40 प्रतिशत से अधिक) ....
16. प्रतिदिन (प्रकाशन का दिन) निःशुल्क वितरित होने वाली प्रतियों की संख्या ....
17. प्रतिदिन (प्रकाशन का दिन) प्रकाशित होने वाली कुल प्रतियों की संख्या ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कथन / तथ्य सत्य एवं सही है।

मुद्रक एवं प्रकाशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण की जांच की गई और सही पाया गया है।

चार्टेड एकाउंट / कास्ट
एकाउंटेण्ट के हस्ताक्षर
मुहर
दिनांक..........
स्थान..........

संशोधित परिशिष्ट–4

महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सूचीः–

क्रमसं	तिथि (प्रत्येक वर्ष)	विज्ञापन का संदर्भ
01	23 अप्रैल को	पेशावर कांड की वर्षगांठ, वीरचन्द्र सिह गढ़वाली
02	25 अप्रैल को	हेमवती नन्दन बहुगुणा जी का जन्म दिवस
03	25 जुलाई को	श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि
04	10 सितम्बर को	'भारत रत्न' प0 गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म दिवस
05	25 सितम्बर को	प0 दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस
06	02 अक्टूबर को	गांधी / शास्त्री जयंती
07	31 अक्टूबर को	सरदार बल्लभ भाई पटेल
08	14 नवम्बर को	बाल दिवस
09	19 नवम्बर को	पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस
10	24 दिसम्बर को	स्व0 इन्द्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि
11	25 दिसम्बर को	पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपेयी का जन्म दिवस
12	09 नवम्बर को	राज्य स्थापना दिवस
13	गठन के अनुसार	राज्य सरकार की वर्षगांठ
14	15 अगस्त को	स्वतंत्रता दिवस
15	26 जनवरी को	गणतंत्र दिवस
16	26 जुलाई को	शौर्य दिवस (कारगिल विजय दिवस)
17	31 अगस्त को	खटीमा मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ
18	तिथि निर्धारित नही	शारदीय नवरात्र पर कुंजापुरी पर्यटन मेला
19	01 अक्टूबर को	रामपुर तिराहा कांड की वर्षगांठ
20	07 दिसम्बर को	सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

टिप्पणी– उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण जयती / पुण्यतिथि / अवसर महानिदेशक सूचना के अनुमोदन के उपरांत निर्धारित किया जा सकेगा।